सं. 4407 /3/2022-बीसी-I
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक :11.04.2022

सेवा में,
सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल।

विषय: भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन।

महोदय/महोदया,

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि उपभोक्ताओं **के** अधिकारों के **उल्लंघन**, अनुचित व्यापार कार्य पद्धति और जनता के हितों के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापनों और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है। सीसीपीए ने 27.01.2022 और 02.02.2022 को हुई अपनी सुनवाई में सेंसोडाइन उत्पादों **के विज्ञापनों और** नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड के विज्ञापनों के मामले क्रमश: में दो आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है।

2. सीसीपीए आदेशों का अनुपालन न करना केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और नियम 1994 के तहत विज्ञापन संहिता के नियम 7(1), 7(4) और 7(5) के अंतर्गत उल्लंघन है।

3. तदनुसार, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को ऊपर उल्लिखित, सीसीपीए द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भवदीय,
हस्ता-/-

[अमरेंद्र सिंह]
उप सचिव (बीसी)
दूरभाष: 2338 1592

संलग्नक: यथोपरि।